राजस्व अपील संख्या – 09/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/14

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 09/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/14

अपीलांट:–

अणची पत्नी श्री धर्माराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. मलाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी हिणकुडी, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 808 दिनांक 28.12.1988, जो तहसीलदार, शेरगढ द्वारा राजस्व अभियान मजमे आम में ग्राम भोमसागर व वर्तमान ग्राम श्री शंकर नगर के खसरा नंबर 155 रकबा 205–14 बीघा का स्वीकृत किया गया।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री सूरजमल नवीन (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री हनवंत सिंह बालोत (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)

निर्णय

दिनांक– 18.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा ग्राम चाबा (भोमसागर) (वर्तमान ग्राम–श्री शंकरनगर) के नामान्तरकरण संख्या–808 पर पारित आदेश दिनांक 28.12.1988 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2017 को पेश की गई है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी–1 की ओर से श्री हनवन्तसिंह बालोत, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के सारवान व संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हिणकुड़ी (वर्तमान श्री शंकरनगर) (पूर्व ग्राम–भोमसागर) पटवार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

क्षेत्र भोमसर, भू. अ. नि. क्षेत्र चाबा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि का खसरा संख्या–155 रकबा–205–14 बीघा भूमि अपीलांट–अणची के पति स्वर्गीय धर्माराम व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त कब्जा काश्त की आई हुई है। धर्माराम व अन्य सहखातेदार किस्तुराराम व पुरखाराम के फौत होने से पटवारी हल्का ने दिनांक 20.12.88 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 808 ग्राम चाबा (नया हाल ग्राम–श्री शंकर नगर) दर्ज किया गया, जिसमें धर्माराम के वारिशान के रूप में अपीलांट अणची (पत्नी) व प्रत्यर्थी–1 मलाराम को धर्माराम का पुत्र बताकर दिनांक 28.12.1988 को "राजस्व अभियान" में स्वीकार किया गया है जो गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है, क्योकि मलाराम, धर्माराम का जायन्दा पुत्र नही है बल्कि मलाराम, अपीलांट के जेठ–भीखाराम का जायन्दा पुत्र है। उक्त गलत इन्द्राज–भीखाराम ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके, अपीलांट के हक की भूमि हड़पने की दृष्टि से करवाया है। अपीलांट का कोई जायन्दा पुत्र नही है, बल्कि एकमात्र पुत्री कमला ही है। मलाराम, अपीलांट का भतीजा है तथा अपीलांट मलाराम की चाची है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है, उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 17.09.2016 को गांव के लोगों से हुई, जब–प्रत्यर्थी मलाराम ने रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के आधार पर विवाद ग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया। उक्त इन्द्राज विधि प्रावधानों के विपरीत मनमाने तरीके से षड़यंत्रपूर्वक मलाराम के नाम किए गए है। मलाराम का नाम, उसके पिता भीखाराम के नाम बने राशन कार्ड, मतदाता सूची–2014 में भीखाराम को पिता दर्शाया जाकर बनाए है। सरकारी योजनाओं में भी मलाराम पुत्र भीखाराम के रूप में पेश हुआ है। जबकि अपीलांट–अणची के राशन कार्ड में एकमात्र पुत्री कमला का ही नाम दर्ज है। उक्त रिकॉर्डेड तथ्यों की जांच किए बिना ही मलाराम को धर्माराम का पुत्र बताया है, जो गलत है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व विहित प्रक्रिया के तहत विस्तृत व सही जांच किए बिना ही मलाराम को धर्माराम का पुत्र बताकर म्युटेशन दर्ज किया है, जो गलत होने से अपास्त योग्य है जबकि धर्माराम के कानूनी वारिशान अपीलांट अणची व पुत्री कमला के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था। अपीलांट को सुने बिना ही एक तरफा आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांट से किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, घोषणा पत्र पटवारी ने प्राप्त ही नही किये थे। अतः गलत नामान्तरकरण आदेश को अपास्त किया जावे तथा धर्माराम के कानूनी वरिशान के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद कानून की धारा–5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है।

4. प्रत्यर्थी संख्या–01 मलाराम की ओर से प्रारंम्भिक आपत्तियां पेश कर अभिकथन किया कि ख.न. 155 रकबा–205–14 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 28.12.1988 को 28 वर्ष पहले भरा गया है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 28 वर्ष पूर्व मलाराम एक नाबालिक लड़का था, जिसको अपीलार्थी के पति धर्मारसम ने गोद लिया था। इसी आधार पर राशन कार्ड संख्या 008541800271, आधार कार्ड सं.–476082560875 में भी मलाराम के पिता का नाम धर्माराम लिखा हुआ है तथा वह धर्माराम का ही गोद पुत्र है, जिसको अपीलार्थी एवं समस्त ग्रामवासी 28 वर्षो से स्वीकार करते आ रहे है। इन तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Hindu Minority & Guardianship Act 1956 की धारा–6 के प्रावधानानुसार 6 वर्ष से अधिक आयु के बालक का प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है। विवादित भूमि पर मलाराम का शांतिपूर्वक एवं निर्विवाद कब्जा/उपयोग करते हुए 30 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है, जिसकी जानकारी अपीलांट को है। विवादित भूमि में से 20 बीघा भूमि मलाराम ने अन्य को बेचान कर दी है, परन्तु क्रेता को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। तहसीलदार ने सही जांच करके ही नामान्तरकरण में मलाराम का नाम दर्ज किया है अतः अपील को खारिज किया जावे। उक्त जबाब के साथ परिवार राशन कार्ड संख्या–008541800271, आधार कार्ड सं. 476082560875 की फोटो प्रति पेश की।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री सूरजमल नवीन में अपील मीमों में अंकित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी–1 मलाराम, अपीलांट अणची के जेठ भीखाराम का पुत्र है, अर्थात वह धर्माराम का पुत्र नहीं है। मलाराम का नाम निर्वाचन नामावली सन् 2014 ग्राम हिनकुडी भाग संख्या–195 (शेरगढ़ वि. स.) में क्रमांक–527 पर मलाराम पुत्र भीखाराम उम्र 32 वर्ष पिता भीखाराम के साथ दर्ज है। राशन कार्ड में भी मलाराम पुत्र भीखाराम दर्ज है। प्रत्यर्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि मलाराम नाबालिक को धर्माराम ने गोद लिया था परन्तु गोद लेने का कोई सबूत पेश नही किया है। नरेगा–योजना में बने जोब कार्ड में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मलाराम पुत्र भीखाराम अंकित है। मलाराम ने गलत रूप से धर्माराम का पुत्र बनकर, अपीलांट की 20 बीघा भूमि का बेचान किया है, जो बिना अधिकार से होने के कारण शून्य है। अपने कथनों के समर्थन में 2015(1) CCC 802 (Raj. H.C.) अनिल कुमार बनाम– अशोक कुमार एवं जतिंदर कुमार बनाम कृष्ण चन्द का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अपील देरी से पेश करने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित गलत इन्द्राजों की जानकारी अपीलांट को आराजी का बेचान करने के बाद ही हुई तथा जानकारी की तारीख से पेश अन्दर म्याद मानी जाकर स्वीकार की जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2012(4) CCC 719(P&H) व 2011 (4) CCC 241 (SC) के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री मलाराम की ओर से श्री हनवंत सिंह बालोत, विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने, प्रत्यर्थी–1 व भीखाराम ने मिलकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की है तथा राजस्व अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है जबकि प्रत्यर्थी के विरूद्ध कोई आरोप नही लगाया है। अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी 2 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। प्रार्थना पत्र में जानकारी की स्पेसिफिक तारीख 17.09.2016 अंकित की है। जबकि अपील दिनांक 26.05.2017 को पेश की है। अपीलांट ने देरी का संतोषप्रद तरीके से कारण नहीं बताये है। अपील मीमों में अंकित अभिकथनों से भी अपील संधारण योग्य नहीं है। बेतुके व आधारहीन कथनों पर अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की प्रति के बाद में उसी प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को धर्माराम का पुत्र बताकर राशन कार्ड जारी किया है तथा आधार कार्ड भी जारी हुआ है जिसमें पिता का नाम धर्माराम अंकित है जिसका खण्डन अपीलांट ने नही किया है तथा मौन स्वीकृति होने से कानून में Admission है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन रहा कि विवादग्रस्त सम्पति का बेचान तृतीय पक्षकार को हो चुका है। परन्तु क्रेता को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट ने क्रेता को पक्षकार बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम 10 सीपीसी पेश किया था, जिसे बाद में अपीलांट से वापस ले लिया है।

इस न्यायालय को सिर्फ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हुई अवैधानिकता का परीक्षण करने का ही अधिकार है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

साक्ष्य/दस्तावेज का परीक्षण अपील में नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार हिस्सा 1/2 –1/2 दर्ज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अपील में आक्षेपित आदेश की तिथि 28.12.88 व अनुतोष में अंकित तिथि 20.12.88 में विरोधाभास है।

विद्वान अधिवक्ता ने निरन्तर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो न्यायिक दृष्टांत, गोदनामा से संबंधित है, जिनका वर्तमान अपील से कोई संबंध नही है तथा किसी भी तरीके से इस प्रकरण का समर्थन नही करते है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक गणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. (a) तहसीलदार शेरगढ़ से प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या–808 ग्राम चाबा (नया राजस्व ग्राम– श्री शंकरनगर), पटवार मंडल भोमसागर, दिनांक 28.12.1988 के अनुसार ख.न. 155 रकबा–रकबा–205–14 बीघा भूमि–भीखाराम, धर्माराम पिता बगताराम, किस्तुराराम वल्द विरदाराम 1/2, पुरखाराम वल्द मोडाराम 1/2 कौम–भांबी सा.देह की खातेदारी में दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 808 के अन्तिम कॉलम में पटवारी ने निम्नानुसार इन्द्राज किया है:–

धर्माराम को फौत–2 वर्ष, किस्तुराराम को फौत–3 वर्ष, पुरखाराम को फौत–4 वर्ष हो चुका है। किस्तुराराम व पुरखाराम के बेवा व पुत्र नहीं होने से उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण पेश है।

कॉलम संख्या 09 में इन्द्राज इस प्रकार किए है– भीखाराम पुत्र बगताराम, अणची बेवा धर्माराम, मलाराम पुत्र– धर्माराम कौम–भांबी। उक्त इन्द्राजों को तहसीलदार शेरगढ़ ने दिनांक 28.12.88 को स्वीकृत किया है। उक्त समस्त इन्द्राज ख.न. 153, 154, व 155 से संबंधित है।

(b)अपीलांट का कथन है कि धर्माराम के कोई पुत्र नहीं है। प्रत्यर्थी 1 मलाराम को गलत तरीके से धर्माराम का पुत्र बताया है। मलाराम वास्तव में भीखाराम का पुत्र है। जबकि प्रत्यर्थी 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन व दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों में कथन किया है कि प्रत्यर्थी 1 मलाराम को धर्माराम ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था तथा उसी गोद के कारण विवादित इंद्राज किये

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गये है तथा राशनकार्ड व आधारकार्ड में भी मलाराम पुत्र धर्माराम दर्ज है तथा ये इंद्राज पिछले तीस वर्षो से रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे है तथा मलाराम ने 20 बीघा भूमि तीसरे व्यक्ति को बेचान भी कर दी है। उक्त के विपरीत अपीलांट का कथन है कि धर्माराम के उत्तराधिकारी–अपीलांट अणची व पुत्री कमला ही है। अन्य कोई औलाद धर्माराम की नहीं है। प्रत्यर्थी 1 की ओर से उसे गोद लेने का कोई सबूत पेश नहीं किया है तथा अवैध तरीके से मलाराम को धर्माराम का पुत्र बताया है।

(c)पटवारी ने नामांतरकरण में प्रत्यर्थी 1 को मलाराम पुत्र धर्माराम अंकित किया है न कि मलाराम पुत्र गोदपुत्र धर्माराम अंकित है तथा गोदपुत्र होने का किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं की है। प्रत्यर्थी 1 स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि धर्माराम ने अपने जीवनकाल में उसे गोद लिया था। इससे यह प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी 1 मलाराम, धर्माराम का जायंदा पुत्र नहीं है। प्रत्यर्थी 1 मलाराम स्वयं को पुख्ता व प्रमाणित साक्ष्य सबूत से यह प्रमाणित करना है कि वह धर्माराम का गोदपुत्र है तथा हिंदु दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उसे विधिवत रूप से धर्माराम ने अपीलांट अणची की सहमति से गोद लिया है तथा मलाराम के प्राकृतिक पिता भीखाराम व माता धापू ने, मलाराम को धर्माराम व अणची को गोद दिया है। क्योंकि हिंदु दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 व 9 में किये गये आज्ञात्मक प्रावधानों का पालना मान्य गोद के लिए आवश्यक है। अपीलांट स्वयं प्रत्यर्थी 1 को धर्माराम का पुत्र होने के तथ्य को अस्वीकार कर रही है। नामांतरकरण दिनांक 20.12.1988 को दर्ज करते समय पटवारी ने धर्माराम को दो वर्ष पूर्व फौत होना बताया है अर्थात् धर्माराम सन् 1986 में फौत हुआ। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 01.01.1980 दर्ज है अर्थात् 1986 में उसकी उम्र मात्र 6 वर्ष लगभग थी तथा सन् 1986 में या उससे पूर्व ही उसे गोद लिया जाना माना जावे तो सन् 2014 की भाग सं. 195 ग्राम हिनकुडी में उसके पिता का नाम मलाराम पुत्र भीखाराम कैसे दर्ज हो सकता है? इसी प्रकार भीखाराम के नाम जारी राशनकार्ड सं. 00150 में भी मलाराम को भीखाराम का पुत्र दर्शाया है एवं अपीलांट के नाम जारी राशनकार्ड में मलाराम का नाम नहीं है। प्रत्यर्थी 1 द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड व आधारकार्ड की फोटो प्रतियां, जिसमें उसे धर्माराम का पुत्र बताया है, ये पश्चात्वर्ती दस्तावेज है तथा मात्र उक्त पश्चात्वर्ती इंद्राजों के आधार पर प्रत्यर्थी 1 मलाराम को धर्माराम का पुत्र नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार प्रत्यर्थी 1 की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वह विधिवत रूप से दत्तक पुत्र के रूप में अपीलांट व उसके पति धर्माराम द्वारा ग्रहण किया गया है। उक्त तथ्य को सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा जारी डिक्री से प्रमाणित किया जा सकता है या धारा 16 के प्रावधानानुसार, पंजीबद्ध गोद पत्र दस्तावेज से किया जा सकता है, परंतु प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। हिंदु दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधान इस प्रकार है:

"16. Presumption as to registered documents relating to adoption:- Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provision of this Act, unless and until it is disproved.

उक्त विधिक व्यवस्था के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का संदर्भ लिया जा सकता है:

K Srinivasan v. Srinivasan (1973)2 SCC 327; Balooram v. Ramlal, 1989 MP 98; Gopi v. Madan, 1970 Raj. 199, Nilima Mukherji v. Kanta Bhushan Ghosh, 2001 SCC 2725, RLW 2007 (1) RJ 110 (HC) मालीराम बनाम राजस्व मण्डल।

परंतु प्रत्यर्थी 1 की ओर से पंजीबद्ध दत्तक ग्रहण पत्र का कोई दस्तावेज ही पेश नहीं किया है, जिसके अभाव में प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में उसे गोद लिये जाने के तथ्य बाबत उपधारणा नहीं की जा सकती।

पंजीबद्ध दस्तावेज के अभाव में मान्य दत्तक ग्रहण को ठोस व प्रमाणित साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए परंतु सक्षम न्यायालय से दत्तक के तथ्य को प्रमाणित करने से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज प्रत्यर्थी 1 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में प्रत्यर्थी 1 को धर्माराम का गोदपुत्र नहीं कहा जा सकता।

(d)प्रत्यर्थी 1 को धर्माराम ने किस तारीख को गोद लिया, यह एक तथ्य है, जिसे प्रत्यर्थी 1 को अन्य तथ्यों की भांति ही सिद्ध करना है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1989 आरआरडी 580– साहबराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, *Sanny v. Duli Devi, 1985 ori 111, Sita Ram v/s Puran Mal, 1985 ori 171, Vandavasi v. kamalamma, 1994 AP 102, Arjna v. Buchi, 1995 ori 32.*

प्रत्यर्थी 1 ने अपने कथनों के समर्थन में सिर्फ यह लिखा है कि आज से 28 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी 1 मलाराम एक नाबालिग लडका था, जिसको अपीलार्थी के पति धर्माराम ने गोद लिया था तथा उसी आधार पर राशनकार्ड व आधारकार्ड में उसके पिता का नाम धर्माराम लिखा है तथा गांव के लोग व अपीलार्थी इसे स्वीकार करते है। उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रत्यर्थी 1 का कथन अप्रमाणित होने से अमान्य है। मात्र इस प्रकार के कयासी कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी का पुत्र नहीं माना जा सकता। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है तथा गोदपुत्र को, गोद लेने वाले की संपति के समस्त प्रकार के हक, अधिकार व सामाजिक मान्यताएं, एक जायंदा पुत्र की भांति प्राप्त हो जाते है। अतः गहन जांच के पश्चात् ही किसी व्यक्ति को गोद पुत्र प्रमाणित साक्ष्य/सबूतों के आधार पर ही माना जा सकता है।

इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(1) CCC 802 (Raj.) अनिल कुमार बनाम अशोक कुमार में प्रतिपादित सिद्धांत से यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है।

नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त समरी कार्यवाही होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के हित, अधिकार, स्वत्व इत्यादि प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित कर दिया है कि उक्त प्रकार के अधिकारों का निर्धारण केवल मात्र सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद में ही निर्धारित किया जा सकता है।

(e)अपीलांट ने यह अपील दिनांक 26.05.2017 को दिनांक 28.12.1988 को पारित आदेश के विरूद्ध लगभग 28 वर्ष पश्चात् पेश की है तथा देरी को कंडोन करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया है। जिसमें उसने कथन किया है कि अपीलांट एक विधवा अनुसूचित जाति की ग्रामीण परिवेश की महिला है। उसको आक्षेपित आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.09.2016 को प्रत्यर्थी द्वारा भूमि बेचने पर गांव के लोगों से हुई, जिसके बाद पटवारी से नकल मांगी तो उसे नहीं दी गई। अंत में, तहसील से दिनांक 24.05.2017 को नकल प्राप्त करके अपील पेश की है। उसे स्वीकार की जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2016(Suppl.) CCC 380 (P&H) जतिंद्र कुमार बनाम कृष्णचंद में पारित निर्णय पेश किया, जिसके पैरा सं. 3 व 4 में दी गई व्यवस्था अनुसार शून्य गोदनामा को कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है तथा उसके लिए किसी प्रकार की समय सीमा तय नहीं है।

इसी प्रकार (2012)4 CCC 719 विरेन्द्र बनाम गुलाब सिंह (P&H) के पैरा सं. 12 में दी गई व्यवस्था अनुसार Fraud के आधार पर प्राप्त डिक्री को कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है।

2011(4) CCC 24 (SC) इन्द्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में भी यह प्रतिपादित किया है कि फ्रॉड से प्राप्त निर्णय को कभी भी अपास्त किया जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में मृतक धर्माराम की संपति का अंतरण, उसके विधिक वारिसान को राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 40 के प्रावधानों के अंतर्गत मृतक के व्यक्तिगत कानून हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होना है तथा धारा 8 के तहत धर्माराम की वारिसान अपीलांट अणची व उसकी पुत्री कमला ही है, परंतु बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी 1 मलाराम पुत्र भीखाराम (अपीलांट का जेठ) का नाम धर्माराम के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है, जो प्रारंभतः ही अवैध होने से शून्य है तथा इस प्रकार के शून्य व प्रारंभतः शून्य आदेशों के आधार पर प्रत्यर्थी 1 को किसी भी प्रकार से धर्माराम की संपति में कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा ऐसे अवैध व मिलीभगत से किये गये इंद्राजों से अपीलांट के अधिकारों का हनन सिर्फ म्याद के बिंदु पर नहीं किया जा सकता है एवं इस न्यायालय को तकनीकी बिंदु व न्याय के बिंदु को तोलकर, निर्णय लेना है तथा यह न्यायालय प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् न्यायहित में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधि. को स्वीकार करना न्यायोचित व सुचित मानता है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित आधार सद्भावी व उचित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील को अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है।

10. उपर्युक्त समग्र तथ्यात्मक व अभिलेखीय विवेचन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि खातेदार धर्माराम व अपीलांट द्वारा प्रत्यर्थी 1 मलाराम को विधिवत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रूप से गोदपुत्र लेने का तथ्य पंजीबद्ध गोदपत्र या सक्षम न्यायालय की घोषणात्मक डिक्री से प्रमाणित नहीं होता है तथा प्रत्यर्थी 1 मलाराम स्वयं की स्वीकारोक्ति अनुसार वह धर्माराम का जायंदा पुत्र नहीं है। धर्माराम की मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण सं. 808 में अंकित विवरण की भूमि, धारा 40 टिनेंसी एक्ट 1955 के प्रावधानानुसार, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के संलग्न अनुसूची प्रथम में वर्णित वारिसान धर्माराम की पत्नी अणची (अपीलांट) व पुत्री कमला या अन्य जायंदा वारिसान को न्यायगत होनी है परंतु बिना किसी आधार व सबूत के प्रत्यर्थी 1 मलाराम को धर्माराम का पुत्र बताकर, अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज किया है, जो विधि विरूद्ध होने से प्रारंभतः ही शून्य है। ऐसे अवैध इंद्राजों के आधार पर प्रत्यर्थी 1 को धर्माराम की संपति में किसी प्रकार के स्वत्व, अधिकार/हित सृजित नहीं हो सकते तथा बिना किसी अधिकार के प्रत्यर्थी 1 को धर्माराम की संपति को हस्तांतरित करने या उपयोग/उपभोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा उसके द्वारा किये गये हस्तांतरण स्वतः ही शून्य है तथा नामांतरकरण सं. 808 पर पारित आदेश दिनांक 28.12.1988 अपास्त योग्य है तथा अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

आदेश

11. उपरोक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम चाबा (नया ग्राम श्री शंकर नगर) के नामांतरकरण सं. 808 पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.1988 को अपास्त किया जाता है। वर्तमान में उक्त नामांतरकरण सं. 808 में अंकित ख.नं. 153, 154, 155 नए राजस्व ग्राम श्री शंकर नगर, प.मं. भोमसागर, निरीक्षक वृत्त चाबा, तहसील शेरगढ में अवस्थित है। प्रकरण तहसीलदार, शेरगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवरण की आराजी का नामांतरकरण, पूर्व मृत खातेदार धर्माराम पुत्र बगताराम के सभी कानूनी वारिसान (प्रत्यर्थी 1 को छोडते हुए) के नाम नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे।
12. अपीलांट दिनांक 05.12.2025 को तहसीलदार, शेरगढ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
13. प्रत्यर्थी 1 मलाराम, सक्षम सिविल न्यायालय से, धर्माराम का गोदपुत्र होने बाबत, अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है तथा सक्षम न्यायालय से मलाराम के पक्ष में अगर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 09/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/14

कोई निर्णय/डिक्री पारित की जाती है तो विधि प्रक्रिया अनुसार, तहसीलदार, शेरगढ राजस्व अभिलेखों में इंद्राज डिक्री अनुसार कर सकेंगें।

14. प्रत्यर्थी 1 मलाराम द्वारा आक्षेपित भूमि बाबत किये गये हस्तांतरण का क्रेता, मलाराम के विरूद्ध विधि में उपलब्ध उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।
15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।
16. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्य लंबित प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
17. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर